

न्यायालय उपतहसीलदार बाटाडू, तहसील बायतु, जिला-बाड़मेर

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये  
पटवारी हल्का हरखाली

1. श्री भगवानाराम पुत्र वीरमाराम कौम मेघवाल निवारी लुनाडा

मुकदमा नम्बर 01/2022 अन्तर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 12-10-22


पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2079 के दौरान तहसील बायतु के पटवार मण्डल हरखाली के ग्राम चैनाणियों की ढाणी के खसरा न. 669/266 रकबा 13.00 बीघा में से 13.00 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि पर अनाधिकृत रूप से वाजरा बोक रकबा कर लिया गया है। पटवारी हल्का हरखाली द्वारा रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्रार्थी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर कोई संतोपप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया है। विप्रार्थी द्वारा बारानी सोयम भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्रार्थी को राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान का पचास गुना जुर्माना रु 50/- अक्षरे ~~पचास~~ रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल हो।

पटवारी हल्का अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना वसूल करें तथा भूअभिलेख निरीक्षक फसल नीलामी की कार्यवाही कर फर्द नीलामी स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को मोके तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का, भूअ. निरीक्षक व त.रा.ले. तहसील बायतु को आदेश से सूचित हो, पत्रावली फेसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 12-10-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपतहसीलदार बाटाडू,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)